

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

08 अगस्त, 2022

धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को छूट पर प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने 'धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को छूट' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) की। पीए संख्या 12, जनवरी से मार्च 2020 और सितंबर से अक्टूबर 2020 तक किया गया था; और पूरक लेखापरीक्षा और एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा जनवरी 2022 तक जारी रही। मार्च 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। रिपोर्ट आज संसद के पटल पर रखी गई।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में सरकारी वित्तपोषित सत्त्वों सहित उन विभिन्न सत्त्वों को कर से छूट का प्रावधान है जो धर्मार्थ स्वरूप के उद्देश्यों में लगे हुए हैं ताकि धर्मादा, धर्म, चिकित्सा, शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक उद्देश्यों को प्रोत्साहित और पूरा किया जा सके। ये सत्त्व दान, स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त करते हैं और उन गतिविधियों जो धर्मार्थ स्वरूप की हैं से अन्य आय प्राप्त करते हैं। ऐसे सत्त्वों की प्राप्तियों को उन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना अपेक्षित है जिनके लिए इन न्यासों और संस्थाओं की स्थापना की गई है। आयकर विभाग (आईटीडी) को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि केवल वास्तविक और पात्र न्यासों और संस्थाओं की आय को आयकर के उद्ग्रहण से छूट दी जाए और यह कि वे कर की सही राशि का भुगतान करें।

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए इस विषय को चुनने का एक आधार यह था कि लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपने 27वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट, समिति की अभ्युक्तियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में अपने 104वें प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर विभाग के गंभीर प्रकृति के उल्लंघनों और यह मॉनीटर करने में विफलता कि क्या न्यास जिन उद्देश्यों के अंतर्गत स्थापित किए गए थे, उनकी पूर्ति कर रहे हैं, पर अपनी चिंता व्यक्त की। समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह इच्छा भी व्यक्त की कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों द्वारा

किए गए उल्लंघनों पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और कमियों को कैसे दूर किया जाए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्तियों को कैसे रोका जाए, पर सिफारिश प्रस्तुत करें।

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना था कि क्या सीबीडीटी प्रभावी तरीके से यह सुनिश्चित करता है कि धर्मार्थ न्यास और संस्थाएं, जो आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी), 11, 12, 13, 80जी(5) के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं, पंजीकरण/अनुमोदन के संबंध में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हैं और उसके बाद भी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करते हैं; क्या आयकर विभाग अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के तहत धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट प्रदान करने में दक्ष है और इस तरह की छूट पात्र सत्त्वों को सटीक रूप से और समय पर दी जाती है; और क्या धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के निर्धारण से संबंधित अधिनियम/नियमों/सीबीडीटी अनुदेशों में मौजूदा प्रावधान पर्याप्त हैं या कोई कमी/अस्पष्टता/ असंगतता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा में निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक संबंधित धर्मार्थ या धार्मिक न्यासों या संस्थाओं के निर्धारण को शामिल किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने 2013 की रिपोर्ट संख्या 20 में पूर्व पीए निष्कर्षों और 2019 की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 9 (प्रत्यक्ष कर) के अध्याय VI में शामिल अनुवर्ती लेखापरीक्षा और लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशों से संबंधित की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) के माध्यम से आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है:

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंजीकरण प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा, आय के संचय और इसके उपयोग की अप्रभावी मॉनीटरिंग, विदेशी अंशदान प्राप्तियों और उपयोग की अप्रभावी मॉनीटरिंग, शैक्षिक न्यासों के सर्वेक्षण की अपर्याप्तता, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में टीडीएस के प्रकटीकरण के लिए प्रावधान के अभाव आदि से संबंधित कतिपय अनियमितताएं, जिन्हें 2013 की हमारी पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 20 में उजागर किया गया था और इस प्रकार की अनियमितताओं के प्रति लोक लेखा समिति (पीएसी) की कुछ विशिष्ट सिफारिशों को आयकर विभाग द्वारा संतोषजनक ढंग से हल नहीं किया था।

(पैराग्राफ 3.2)

- निर्धारण वर्ष 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर से संबंधित 6.89 लाख मामलों के डेटा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि, आयकर विभाग ने कुल मामलों का केवल 0.25 लाख (3.7 प्रतिशत) की संवीक्षा की और 6.30 लाख (91.4 प्रतिशत) मामलों को स्वचालित प्रणाली में संक्षिप्त तरीके से संसाधित किया गया।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग की प्रणाली में कुछ कमियों को पाया जिसके कारण राजस्व की हानि की संभावना के साथ छूट का गलत दावा किया गया जैसे कि:

- सीएसएस में चयन मानदंडों के लिए आवश्यक डेटा के गलत इनपुट के कारण, आयकर विभाग सिस्टम द्वारा संवीक्षा के लिए बड़ी संख्या में मामलों को गलत तरीके से चुना गया था।

(पैराग्राफ 5.3.1)

- प्र. डीजीआईटी (सिस्टम्स) द्वारा प्रदान किए गए 6.89 लाख मामलों के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 0.21 लाख मामलों में छूट की अनुमति दी गयी थी, हालांकि धारा 12ए के तहत पंजीकरण उपलब्ध नहीं था। विदेशी अंशदान के मामले में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 347 मामलों में निर्धारिती द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया था लेकिन एफसीआर के तहत पंजीकरण विवरण उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, उपरोक्त संबंधित क्षेत्र में क्षेत्रीय वैधीकरण आईटीआर फॉर्म-7 में उपलब्ध नहीं थे।

(पैराग्राफ 5.3.2, 5.3.4.1 और 5.3.4.2)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि सीएसआर फंड से दान के लिए धारा 80 जी के तहत कटौती की अनुमति देने के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। चूंकि धारा 80जी के तहत छूट का दावा करने वाले न्यासों के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों के लिए कंपनियों द्वारा पर्याप्त राशि व्यय की जाती है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रावधानों की निर्धारण अधिकारी द्वारा समान रूप से व्याख्या की जाती है और मुकदमेबाज़ी की संभावना को कम करने के लिए इस मुद्दे पर स्पष्टता लाने के लिए विभाग को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 5.1.2.3)

- आईटी अधिनियम में आय के प्रयोग का अवधारण करने के उद्देश्य से शीर्ष “प्रशासनिक और स्थापना व्यय” के तहत विभिन्न खर्चों को अनुमत करने के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। चूंकि प्रशासनिक और स्थापना व्यय विभिन्न श्रेणियों के हो सकते हैं, जिसका कुछ हिस्सा आय के सृजन के लिए सीधे जिम्मेदार हो सकता है जबकि इसका कुछ हिस्सा धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्य के लिए हो सकता है, इसलिए आयकर विभाग को इस उद्देश्य के लिए अधिनियम में अधिक स्पष्टता लाने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 5.1.2.6)

- आईटी अधिनियम में चालू वर्षों की आय में से एक न्यास से दूसरे न्यास को दान देने को प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, कुछ न्यास/संस्थाएं चालू वर्ष की

आय में से 15 प्रतिशत के अनुमेय संचय का लाभ उठाकर और फिर किसी दूसरे न्यास में शेष आय को हस्तांतरित कर अनुचित लाभ उठा रहे हैं। प्राप्तकर्ता न्यासों/संस्थाओं ने भी 15 प्रतिशत के संचय का दावा करने के बाद अन्य न्यासों को राशि हस्तांतरित कर दी। दान की इस श्रृंखला के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को लाभ से वंचित कर दिया गया और न्यासों/संस्थानों के पास संचय होने में मदद मिली।

(पैराग्राफ 5.1.2.7)

- अनाम दान का पता लगाने के लिए दाताओं की पहचान को सत्यापित करने के लिए कोई मापदंड नहीं थे। लेखापरीक्षा ने छह निर्धारण मामलों को देखा जहां विभाग ने दानदाताओं की सत्यता को सत्यापित नहीं किया और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनाम दान (दानों) पर कर नहीं लगाया। मंत्रालय ने वित्त अधिनियम 2020 द्वारा इस मुद्दे को संबोधित किया है।

(पैराग्राफ 5.1.2.10)

- आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान छूटों के लिए पंजीकृत/अनुमोदित 425 मामलों में से 194 मामलों (45 प्रतिशत) के पंजीकरण/अनुमोदन रिकॉर्ड को प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पंजीकरण/अनुमोदन से संबंधित निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने में कमियां पाई गईं जैसे कि पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करने में विलंब, पंजीकरण को अनियमित प्रदान करना, निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बिना पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करना, सत्यापन के बिना पंजीकरण प्रदान करना आदि।

(पैराग्राफ 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 और 5.2.5)

- लेखापरीक्षा ने धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के लिए लागू फॉर्म-10बी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कमियां पाई हैं जैसे कि विभिन्न शीर्षों के तहत प्राप्त के विस्तृत ब्यौरे, कॉर्पस दान के विवरण, आय के माने गए अनुप्रयोग के विवरण आदि का अभाव जिससे निर्धारण की गुणवत्ता, निर्धारिती द्वारा किए गए गलत दावे और राजस्व की हानि प्रभावित हुई।

(पैराग्राफ 5.3.6)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 11(2) के तहत निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 66 निर्धारण मामलों में संचय की अनुमति दी थी।

(पैराग्राफ 6.3)

- लेखापरीक्षा ने 22 निर्धारण मामलों में देखा जहां निर्धारितियों ने धारा 13 (3) (अर्थात् संबंधित पार्टियां) के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों के लाभ के लिए अपनी आय या संपत्ति का

उपयोग किया था, लेकिन आयकर विभाग ने निर्दिष्ट व्यक्तियों के लाभ के लिए उपयोग की जाने वाली आय या संपत्ति की ऐसी राशि पर कर का उद्ग्रहण नहीं किया था।

(पैराग्राफ 6.4)

- लेखापरीक्षा ने निर्धारण आदेशों में आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के गैर अनुपालन पाया, जिसकी परिणति निर्धारितियों को दोहरे लाभों को अनियमित अनुमति के रूप में हुई। आठ निर्धारण मामलों में, परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को आय के अनुप्रयोग के रूप में अनुमति दी गई थी, भले ही ऐसी परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक पूंजीगत व्यय को पहले से ही आय के अनुप्रयोग के रूप में माना गया था। 11 निर्धारण मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने कॉर्पस फंड, या अन्य विशिष्ट उद्देश्य निधियों से होने वाली आय के प्रयोग से संबंधित दावों की अनुमति दी थी।

(पैराग्राफ 6.5.1 और 6.5.2)

- आयकर विभाग ने धारा 11 और 10(23सी) की उप-धाराओं से जुड़ी विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों के लिए विशिष्ट कोड आवंटित नहीं किए हैं, जिसके तहत छूट का दावा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सरकारी/निजी न्यास द्वारा दावा की गई छूट से संबंधित डेटा आईटीआर फार्म 7 में कैप्चर नहीं किए जा रहे थे। आयकर विभाग को अपात्र दावों के जोखिम को कम करने के लिए इन निजी धर्मार्थ सत्त्वों की गतिविधिवार मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 7.1.1)

- यद्यपि पीएसी ने अपनी 104वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में सिफारिश की थी कि धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण/अनुमोदन की प्रक्रिया को आयकर विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में लाया जाना चाहिए, लेकिन यह वि.व. 2019-20 तक नहीं हुआ था कि संसाधित पंजीकरण आवेदनों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा शुरू हुई। इसके अलावा लेखापरीक्षा ने पाया कि पंजीकरण प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में जारी अनुदेशों को सभी राज्यों में समान रूप से लागू नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में आगे पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में आयकर विभाग द्वारा जारी परिपत्र केवल धारा 12एए के तहत दिए गए पंजीकरण पर लागू होता है, लेकिन धारा 10(23सी) और 80जी(5) के तहत अनुमोदित मामलों को सम्मिलित नहीं करता है।

(पैराग्राफ 7.1.3 और 7.1.4)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की मॉनीटरिंग के लिए अधिनियम के तहत छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों की संख्या की तुलना में विभाग द्वारा बहुत कम सर्वेक्षण किए गए थे। इसके अलावा, पीएसी की विशिष्ट सिफारिश के बावजूद कि सभी शैक्षिक न्यासों का सर्वेक्षण समयबद्ध तरीके से किया जाए, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा नमूने में शामिल कुल 2,686 शैक्षिक न्यासों (2,105 निर्धारितियों) में से 0.3 प्रतिशत का सर्वेक्षण किया था। इसके

अलावा, उपरोक्त अवधि के दौरान 46 उच्च मूल्य वाले शैक्षिक न्यासों (₹ 200 करोड़ या उससे अधिक की प्राप्ति वाले) के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 7.1.5)

- ऐसे न्यासों/संस्थाओं को छूट देने की अनुमति देने में असंगतता थी जिनकी गतिविधि धर्मार्थ स्वरूप की नहीं थी। 10 निर्धारण मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण किया कि, न्यासों की गतिविधियां एक या अधिक निर्धारण वर्षों के लिए धर्मार्थ स्वरूप की नहीं थीं, लेकिन अन्य निर्धारण वर्षों के लिए छूट की समीक्षा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, हालांकि न्यास के उद्देश्य संबंधित निर्धारण वर्ष के दौरान समान थे जिसकी परिणति छूट की अनियमित स्वीकृति के रूप में हुई।

(पैराग्राफ 7.1.6)

- लेखापरीक्षा ने आठ मामलों में पाया कि धारा 12एए(3) और 12एए(4) के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यासों/संस्थाओं की प्रास्थिति की समीक्षा नहीं की गई थी, हालांकि निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट से इनकार किया था जो या तो यह मानते हुए कि न्यासों की गतिविधियां वास्तविक नहीं थीं या न्यासों की संपत्ति या आय का संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिए न्यास द्वारा निरंतर उपयोग किया जाता था।

(पैराग्राफ 7.1.7)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की मॉनीटरिंग के अभाव के कारण न्यासों द्वारा छूट के फर्जी दावों के साथ-साथ दानदाताओं को धारा 35(1)(ii) के अंतर्गत जाली प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

(पैराग्राफ 7.1.9)

- लेखापरीक्षा में अधिनियम में निर्धारित तरीके से न्यासों/संस्थाओं द्वारा संचय और उसके उपयोगों की प्रभावी मॉनीटरिंग में आयकर विभाग की कमियों का पता चला। 32 निर्धारण मामलों में, विभाग ने धारा 11(2) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पिछली संचित आय के उपयोग की प्रभावी रूप से मॉनीटरिंग नहीं की। इसके अलावा, धारा 10(23सी) के अंतर्गत संचय के प्रयोजन/अवधि की घोषणा के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

(पैराग्राफ 7.1.11 और 7.1.12)

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईटीआर-7 में दर्शाए गए और एफसीआरए अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय (एमएचए) को बताए गए विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उसके उपयोग का सत्यापन करने का आयकर विभाग में कोई तंत्र नहीं है। यद्यपि पीएसी ने विशिष्ट सिफारिश की थी कि विदेशी अंशदान के प्राप्त होने और इसके अनुप्रयोग पर निगरानी

रखने के लिए आयकर विभाग को एमएचए के साथ डेटा का आदान प्रदान करने वाला तंत्र प्रतिपादित करना चाहिए, आयकर विभाग को मामले में अभी कार्रवाई करनी शेष है। इस कमी के परिणामस्वरूप 35 मामलों में विदेशी अंशदान पर छूट का गलत दावा किया गया।

(पैराग्राफ 7.1.13)

सिफारिशों का सार

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि:

- आयकर विभाग इस शर्त पर धारा 12ए के तहत शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं को पंजीकरण प्रदान करने पर विचार कर सकता है कि शैक्षिक और गैर-शैक्षिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग लेखाओं का रखरखाव किया जाए और शैक्षिक गतिविधियों को धारा 10(23सी) के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाए। इसके अलावा, सीबीडीटी निर्धारिती न्यासों/संस्थाओं द्वारा शैक्षिक और गैर-शैक्षिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग आईटीआर दाखिल करने पर विचार कर सकता है।

(पैराग्राफ 5.1.1)

- परस्परव्यापी धाराओं के दो सेटों के होने का उद्देश्य, विशेष रूप से शैक्षिक और चिकित्सा उद्देश्यों के संबंध में, एक धारा 10(23सी) के तहत 'गैर-लाभार्थ श्रेणी' (जिसमें उच्च प्रतिबंध शामिल हैं) और दूसरा धारा 11 के तहत 'धर्मार्थ श्रेणी' (कम प्रतिबंधों के साथ) लेखापरीक्षा के लिए स्पष्ट नहीं है। तार्किक रूप से, एक चयन के साथ अधिकांश सत्त्व प्रतिबंध की गैर-लाभार्थ श्रेणी की विकल्प नहीं चुनेंगे। सामान्य तौर पर, धारा 10(23सी) की विभिन्न उप-धाराओं के तहत शर्तें, जिसमें यह आवश्यक है कि संस्थाएं पूरी तरह से परोपकारी उद्देश्यों के लिए हैं न की लाभ के उद्देश्यों के लिए, जो धारा 11 के तहत उन की तुलना में अधिक भारयुक्त हैं, जिसमें 15 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक आय के संचय को ही मात्र प्रतिबंधित करते हैं और "गैर-लाभार्थ" उद्देश्य विशिष्ट नहीं हैं; तथापि, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आय में छूट के प्रावधान लगभग समान हैं।

राजस्व विभाग, स्पष्ट सरकारी नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न श्रेणियों के तहत अधिनियम में इन शर्तों की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है, जिसके संदर्भ में, धर्मार्थ उद्देश्य "पूरी तरह से परोपकारी उद्देश्यों की आवश्यकता के साथ आय में छूट के योग्य हैं, न कि लाभ के उद्देश्य के लिए" और जिसमें धर्मार्थ उद्देश्य ऐसी आवश्यकता के बिना आय छूट के योग्य हैं।

(पैराग्राफ 5.1.1)

- आयकर विभाग संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन के मूल्यांकन पहलुओं की जांच करने के लिए एक मानक परिचालन क्रियाविधि/अनुदेश/दिशानिर्देश जारी कर सकता है और न्यास की संबंधित पार्टी के साथ किए गए लेन-देन की 'युक्तिसंगतता' और 'पर्याप्तता' को उचित ठहराने के लिए एक तंत्र तैयार कर सकता है ताकि निर्धारण अधिकारी निर्धारण की कार्यवाही के दौरान लेन-देन की युक्तिसंगतता और पर्याप्तता के रूप में स्वयं को संतुष्ट कर सके; और उचित तथा पर्याप्त रूप में निर्धारित राशि के ऊपर संबंधित पार्टियों के लाभ के लिए उपयोग की गई आय या संपत्ति की राशि पर कर उदग्रहण किया जा सके।

(पैराग्राफ 5.1.2.1)

- सीबीडीटी को एक संशोधन लाने या बाध्यकारी स्पष्टीकरण जारी करने पर विचार करना चाहिए कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 द्वारा कवर की गई निर्दिष्ट कंपनियों के सीएसआर व्यय में से इन-हाउस/कॉर्पोरेट न्यासों के साथ-साथ न्यासों को दान धारा 80जी के तहत कटौती के लिए पात्र है, या नहीं। ऐसा संशोधन या बाध्यकारी स्पष्टीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है जिसमें निर्धारण अधिकारियों द्वारा सभी निर्धारण प्रभागों में प्रावधानों की समान रूप से व्याख्या की जाए और मुकदमेंबाज़ी की संभावना को कम किया जाए।

(पैराग्राफ 5.1.2.3)

- आयकर विभाग, अधिनियम में नए प्रावधानों को लाने पर विचार कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशिष्ट उद्देश्य के साथ दान, यदि निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है (जैसे कि बाद में अन्य संगठनों आदि को इस तरह के दान को केवल हस्तांतरित किया जाता है) तो उसमें छूट से इनकार किया जाए और जिस वर्ष में इसका पता लगाया गया है, उस वर्ष में आय के रूप में माना जाना चाहिए।

(पैराग्राफ 5.1.2.4)

- आयकर विभाग अधिनियम में एक नया प्रावधान लाने पर विचार कर सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि चालू वर्ष की आय में से अन्य न्यासों/संस्थाओं से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान ऐसे प्राप्तकर्ता न्यास या संस्था के पास 15 प्रतिशत की दर से अनुमेय संचय के लिए पात्र नहीं होंगे।

(पैराग्राफ 5.1.2.7)

- आयकर विभाग उन मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यासों को केवल असाधारण मामलों में लगातार संचय की अनुमति दी जाती है जहाँ लगातार और वर्धित संचय रहा था, न्यास की गतिविधियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के लिए निर्धारण अधिकारियों के लिए एक मानक परिचालन क्रियाविधि जारी करके एक उपयुक्त तंत्र विकसित कर सकता है।

(पैराग्राफ 5.1.2.9)

- आयकर विभाग विशिष्ट मापदंडों (दानदाता के नाम और पते के अलावा) जैसे पैन आदि को निर्धारित कर सकता है, जिसमें दानदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारिती द्वारा आवश्यक रूप से प्रकटन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आयकर विभाग द्वारा तय किए जाने वाले दान की एक सीमा से अधिक होने पर दाता के पैन का प्रकटन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। आयकर विभाग धन शोधन के जोखिम को कम करने के लिए निर्धारण प्रक्रिया को मजबूत करने और राजस्व की हानि को रोकने के लिए दानदाताओं के विवरणों को अभिगृहीत करने के लिए आईटीआर में एक नई अनुसूची शुरू करने पर भी विचार कर सकता है।

(पैराग्राफ 5.1.2.10)

- आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि न्यास/संस्था की गतिविधियों की मौजूदगी और उसकी यथार्थता के बारे में क्षेत्रीय जांच की जा सकती है और पंजीकरण प्रदान करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसकी एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा जाए।

(पैराग्राफ 5.2.5)

- आयकर विभाग आईटी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठा सकता है ताकि डेटा के इनपुट, संवीक्षा किए जाने वाले मामलों की उचित पहचान के लिए चयन मानदंडों के अनुरूप हों।

आयकर विभाग को आईटीआर 7 में अभिगृहीत डेटा घटकों के विस्तार पर विचार करना चाहिए, यदि आवश्यक हो, तो आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की जाने वाली सकल आय या छूट प्राप्त आय की सीमा के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह प्रासंगिक डेटा को अभिगृहीत करने में सक्षम बनाएगा जो छोटे न्यासों/सत्त्वों को असुविधाजनक बनाए बिना सीएसएस चयन के लिए एक बेहतर और अधिक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को समर्थ बनाएगा।

(पैराग्राफ 5.3.1)

- आयकर विभाग

क) अधिनियम की धारा 12ए/80जी/10(23सी) के तहत पंजीकृत सभी न्यासों/संस्थाओं के पंजीकरण डेटा को डिजिटल रूप से समेकित कर सकता है और सीपीसी के माध्यम से आईटीआर के प्रसंस्करण के दौरान पंजीकरण की यथार्थता को सत्यापित करने के लिए आईटीआर में फाइल किए गए डेटा के साथ इसका मिलान कर सकता है; और

ख) धारा 12ए(2) के दूसरे परंतुक को उपयुक्त रूप से संशोधित कर सकता है ताकि निर्धारण अधिकारी को ऐसे मामलों की फिर से जांच करने में समर्थ बनाया जा

सके जहां निर्धारिती ने वैध पंजीकरण के बिना धारा 11 या 12 के तहत अनियमित छूट का दावा किया है।

(पैराग्राफ 5.3.2)

- आयकर विभाग फार्म आईटीआर-7 में अंशदाता/दानदाता से संबंधित डेटा/सूचना को अभिगृहीत कर सकता है जैसा कि धारा 80जी(5) के संबंध में किया गया है ताकि अंशदान/दान की गई निधियों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(पैराग्राफ 5.3.5)

- आयकर विभाग निम्नलिखित को समाविष्ट करते हुए फॉर्म 10बी को संशोधित करने पर विचार कर सकता है:

क) विभिन्न शीर्षों के तहत प्राप्ति का विवरण और पूरी तरह से न्यास द्वारा धारित संपत्ति से प्राप्त आय।

ख) कॉर्पस दान की प्राप्ति, इसके उपयोग और कॉर्पस दान से व्यय के दावे के बारे में विस्तृत जानकारी।

ग) पिछले वर्ष में प्राप्त आय के माने गए अनुप्रयोग के दावे पर विस्तृत जानकारी जिसे वास्तविक प्राप्ति के वर्ष में आय के अनुप्रयोग की राशि से कम किया जाना है।

घ) आय की रिटर्न में पिछले संचय में से उपयोग का विवरण लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

ताकि निर्धारिती द्वारा किए गए दावे की शुद्धता को सत्यापित करने में निर्धारण अधिकारी को सक्षम बनाया जा सके।

(पैराग्राफ 5.3.6.1, 5.3.6.2, 5.3.6.3 और 7.1.11)

- आयकर विभाग न्यासों/संस्थाओं के लिए अपनी निर्धारण प्रक्रिया को सुदृढ़ कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त हित वाले व्यक्तियों को लाभ के लिए न्यास की आय या संपत्ति का उपयोग किए जाने पर कोई छूट नहीं दी जाती है।

(पैराग्राफ 6.4)

- आयकर विभाग, सरकारी और निजी सत्त्वों की पहचान करने के लिए, निजी धर्मार्थ सत्त्वों के संबंध में बेहतर मॉनीटरिंग, बेहतर सतर्कता और संवीक्षा चयन के लिए जोखिम के प्रभावी मूल्यांकन के लिए, उन्हें अधिनियम की धारा 11 और 10(23सी) की उप-धाराओं से लिंक करते हुए न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों के विभिन्न वर्गीकरणों के लिए अलग-अलग कोड आबंटित कर सकता है।

आयकर विभाग के कंप्यूटर सहायित संवीक्षा चयन (सीएएसएस) को परिष्कृत किया जाना चाहिए ताकि सरकारी सत्त्वों के लिए कम जोखिम को दर्शाया जा सके और संवीक्षा के लिए चयन की संभावना को कम किया जा सके, अन्य बातें समान रहते हुए, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संवीक्षा के लिए आयकर विभाग के संसाधन सीमित हैं और निजी क्षेत्र में उच्च जोखिम वाले मामलों में बेहतर तरीके से परिनियोजित किया जाना चाहिए।

(पैराग्राफ 7.1.1)

- आयकर विभाग अधिनियम की धारा 10(23सी) और 80जी(5) के तहत अनुमोदित मामलों को विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में लाने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

(पैराग्राफ 7.1.4)

- आयकर विभाग

क) सीपीसी-आईटीआर/आईटीबीए प्रणाली में डेटा अभिगृहीत कर सकता है, ताकि ग्रेनुलर बिजनेस कोड और अन्य साधनों के माध्यम से संबंधित न्यासों के स्वरूप और गतिविधि का पता लगाया जा सके; और

ख) विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले छूट के मामलों में निजी शैक्षिक न्यासों/संस्थाओं, के संबंध में किए जा रहे सर्वेक्षणों की प्रमात्रा में वृद्धि की जाए, ताकि अधिक प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा सके और अपात्र दावों की संभावना को कम किया जा सके जैसाकि पीएसटी द्वारा इच्छा व्यक्त की गयी है।

(पैराग्राफ 7.1.5)

- आयकर विभाग इस बात की जांच कर सकता है कि किसी भी निर्धारण वर्ष में विभाग ने गैर-धर्मार्थ वाली गतिविधियों पर विचार करते हुए किसी न्यासों/संस्थाओं को छूट देने से इनकार किया हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पहले के वर्षों के निर्धारण की फिर से जांच की जा सकती है कि ऐसे न्यासों/संस्थाओं द्वारा अनुचित लाभ नहीं लिया गया था।

(पैराग्राफ 7.1.6)

- आयकर विभाग पंजीकरण/अनुमोदन प्रदान करने से पहले न्यासों/संस्थाओं की गतिविधियों की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए मानक परिचालन क्रियाविधि/दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

(पैराग्राफ 7.1.8)

- आयकर विभाग धारा 35(2एए) और 35(2एबी) के अनुरूप धारा 35(1)(ii) के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय विशेष प्राधिकारी द्वारा न्यास/संस्था की अनुसंधान गतिविधि के प्रमाणन पर विचार कर सकता है।

(पैराग्राफ 7.1.9)

- आयकर विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए एक मॉनीटरिंग तंत्र (संवीक्षा निर्धारण के अतिरिक्त) तैयार कर सकता है कि आईटी अधिनियम की धारा 10(23सी), 11, 12, 13, 80जी(5) के तहत लाभ प्राप्त करने वाले सत्त्व उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं जिनके लिए उनका गठन किया गया है।

(पैराग्राफ 7.1.10)

- आयकर विभाग प्रणाली को डेटा के स्वतः अभिग्रहण द्वारा वर्ष-वार संचय और उपयोग की अनुसूची को बनाए रखने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है ताकि निर्दिष्ट अवधि के बाद किसी भी अव्ययित राशि पर तदनुसार कर लगाया जा सके।

(पैराग्राफ 7.1.11)

- फार्म 10बीबी को संशोधित किया जा सकता है ताकि धारा 10(23सी) (iv से viए तक) के तहत पंजीकृत न्यासों/संस्थाओं द्वारा संचित राशियों की मॉनीटरिंग की जा सके। इसके अलावा, आयकर विभाग फॉर्म 10 के समान निर्धारिती द्वारा की जाने वाली विशिष्ट घोषणा पर विचार कर सकता है, जिसके अनुसार धारा 11(2) के तहत निर्धारण अधिकारी/निर्धारित प्राधिकारी को विवरण प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें धारा 10(23सी)(iv से viए) तक के तहत पंजीकृत न्यासों/संस्थाओं द्वारा संचय के उद्देश्य/अवधि को सूचित करते हुए भविष्य के अनुप्रयोग के लिए आय के संचय का विकल्प चुना गया है। इसके अलावा, सीपीसी-आईटीआर/आईटीबीए प्रणाली को डेटा के स्वतः अभिग्रहण करके वर्ष-वार संचय और उपयोग की अनुसूची को बनाए रखने के लिए भी उपयुक्त रूप से आशोधित किया जा सकता है ताकि निर्दिष्ट अवधि के बाद किसी भी अव्ययित राशि पर तदनुसार कर लगाया जा सके।

(पैराग्राफ 7.1.12)

- आयकर विभाग

क) आईटी आधारित स्वतः अभिग्रहण तंत्र विकसित कर सकता है जिसमें आईटीआर में दर्शाए गए विदेशी प्राप्ति का प्रति-सत्यापन एमएचए के पास उपलब्ध विदेशी प्राप्ति के आंकड़ों से किया जा सके। आयकर विभाग अधिनियम में नए प्रावधानों को लाने पर भी विचार कर सकता है, ताकि एफसीआरए अधिनियम 2010 के उल्लंघन में न्यासों/संस्थाओं द्वारा प्राप्त, उपयोग किए गए, दान किए गए या

निवेश किए गए विदेशी अंशदान को आय के रूप में माना जा सके जिसे धारा 11 और 10(23सी) के तहत छूट नहीं दी जानी चाहिए।

- ख) आयकर विभाग प्रणालियों में जांच और वैधीकरण का समावेश कर सकता है ताकि उपयोगकर्ता को आयकर रिटर्न फाइल करते समय समान/विभिन्न फॉर्मों के भीतर असंगत जानकारी/डेटा प्रदान करने के लिए प्रतिबंधित किया जा सके।
- ग) अन्य सरकारी विभाग/निकाय के पास उपलब्ध प्रासंगिक सूचना/डेटा के उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगा सकता है जो स्वचालित प्रणाली में आईटीआर का संसाधन करते समय राजकोष में राजस्व की हानि को रोक सकता है।

(पैराग्राफ 7.1.13)